इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2015—ज्येष्ठ 1, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क) कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

अध्यादेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal, the 19th May 2015

No. 129-XXI-A(Dr.).—The following Ordinance promulgated by the President of India published in the Gazette of India Extra-ordinary, Part II, Section 1, dated the 3rd April 2015 is hereby republished for general information.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH YADAV, Addl. Secy.

THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

No. 4 of 2015

Promulgated by the President in the Sixty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

Whereas the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (the RFCTLARR Act, 2013) was promulgated by the President on the 31st day of December, 2014;

And whereas the RFCTLARR (Amendment) Bill, 2015 was introduced on the 24th February, 2015 in the House of the People to replace the said Ordinance and the said Bill was passed alongwith amendments on the 10th March, 2015 in the House of the People;

And whereas the RFCTLARR (Amendment) Bill, 2015 as passed by the House of the People could not be passed by the Council of States and is pending in that House;

And whereas the Council of States is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (*1*) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement

1. (*1*) This Ordinance may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2015.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 31st day of December, 2014.

Substitution of certain expression throughout the Act

2. In the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "private company" wherever they occur, the words "private entity" shall be substituted. 30 of 2013.

Amendment of section 2.

3. In the principal Act, in sub-section (*2*) of section 2, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the acquisition of land for the projects listed in sub-section (*1*) of section 10A and the purposes specified therein shall be exempted from the provisions of the first proviso to this sub-section.".

Amendment of section 3.

4. In the principal Act, in section 3,—

(*i*) in clause (*j*) in sub-clause (*i*), for the words and figures "the Companies Act, 1956", the words and figures "the Companies Act, 2013" shall be substituted; 1 of 1956. 18 of 2013.

(*ii*) after clasue (*y*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*yy*) "private entity" means any entity other than a Government entity or undertaking and includes a proprietorship, partnership, company, corporation, non-profit organisation or other entity under any law for the time being in force;'.

Insertion of new Chapter IIIA.

5. In the principal Act, after Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely:—

"CHAPTER IIIA

PROVISIONS OF CHAPTER II AND CHAPTER III NOT TO APPLY TO CERTAIN PROJECTS

Power of appropriate Government to exempt certain projects.

10A (*1*). The appropriate Government may, in the public interest, by notification, exempt any of the following projects from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of this Act, namely:—

(*a*) such projects vital to national security or defence of India and every part thereof, including preparation for defence or defence production;

(*b*) rural infrastructure including electrification;

(*c*) affordable housing and housing for the poor people;

(*d*) industrial corridors set up by the appropriate Government and its undertakings (in which case the land shall be acquired up to one kilometre on both sides of designated railway line or roads for such industrial corridor); and

(*e*) infrastructure projects including projects under public-private partnership where the ownership of land continues to vest with the Government:

Provided that the appropriate Government shall, before the issue of notification, ensure the extent of land for the proposed acquisition keeping in view the bare minimum land required for such project.

(*2*) The appropriate Government shall undertake a survey of its wasteland including arid land and maintain a record containing details of such land, in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.

Amendment of section 24.

6. In the principal Act, in section 24, in sub-section (*2*), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in computing the period referred to in this sub-section, any period or periods during which the proceedings for acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction issued by any court or the period specified in the award of a tribunal for taking possession or such period where possession has been taken but the compensation lying deposited in a court or in any designated account maintained for this purpose shall be excluded.".

Amendment of section 31.

7. In the principal Act, in section 31, in sub-section (*2*), in clause (*h*), after the words "affected families", the words "including compulsory employment to at least one member of such affected family of a farm labourer" shall be inserted.

Amendment of section 46.

8. In the principal Act, in section 46, in sub-section (*6*), in *the Explanation, in clause* (*b*), the words "any person other than" shall be omitted.

Insertion of new section 67A.

9. In the principal Act, after section 67, the following section shall be inserted, namely:—

Hearing to be held by Authority in district or districts to decide grievances.

'67A. The Authority shall, after receiving reference under section 64 and after giving notice of such reference to all parties concerned, hold the hearing in the district where the land acquisition takes place for settlement of the objections raised in the reference.'.

10. In the principal Act, for section 87, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of new section for section 87.

"87. Where an offence under this Act has been committed by any person who is or was employed in the Central Government or the State Government, as the case may be, at the time of commission of such alleged offence, the court shall take cognizance of such offence provided the procedure laid down in section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is followed.". Offences by Government officials.

11. In the principal Act, in section 101, for the words, "a period of five years", the words "a period specified for setting up of any project or for five years, whichever is later," shall be substituted. Amendment of section 101.

12. In the principal Act, in section 105,— Amendment of section 105.

(*i*) for sub-section (*3*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(*3*) The provisions of this Act relating to the determination of compensation in accordance with the First Schedule, rehabilitation and resettlement in accordance with the Second Schedule and infrastructure amenities in accordance with the Third Schedule shall apply to the enactments relating to land acquisition specified in the Fourth Schedule with effect from 1st January, 2015.";

(*ii*) sub-section (*4*) shall be omitted.

13. In the principal Act, in section 113, in sub-section (*1*),— Amendment of section 113.

(*i*) for the words "the provisions of this Part", the words "the provision of this Act" shall be substituted;

(*ii*) in the proviso, for the words "a period of two years", the words "a period of five years" shall be substituted.

Repeal and saving. 14. (*1*) The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014, is hereby repealed. Ord. 9 of 2014

(*2*) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Ordinance.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

DR. SANJAY SINGH,
Secretary to the Govt. of India.

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

82, हर्षवर्धन नगर, मजार के पास, लिंक रोड नं. 2, भोपाल-462003

भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

आंध. क्र. 6805-भसकमं-2014.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, पूर्व जारी अधिसूचना क्र. भसकम-1911, दिनांक 11 जुलाई 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

सारणी

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	**ग्रामीण क्षेत्र** विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र सिविल सर्जन/ अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

के स्थान पर

<u>संशोधित सारणी</u>

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	**ग्रामीण क्षेत्र** विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र सिविल सर्जन/ अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल./ विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी (अपनी—अपनी अधिकारिता क्षेत्र में)	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म–2014, 6806 इस कार्यालय की अधिसूचना कमांक 192 दिनांक 29 फरवरी, 2008 तथा संशोधन अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त, 2014 व 18 जुलाई 2014 द्वारा **शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना/मेधावी छात्र–छात्राओ को नगद पुरूस्कार योजना** के संबंध में जारी अधिसूचना में आवेदन स्वीकृति तथा भुगतान की प्रकिया अंतर्गत उल्लेखित प्रावधानो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

अर्थात –

संशोधन

उक्त योजनांतर्गत दिनांक 29 फरवरी 2008 द्वारा जारी आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया/भुगतान की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान समाप्त किये जाते है।

दिनांक 18 जुलाई 2014 द्वारा जारी शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना तथा दिनांक 01 अगस्त 2014 द्वारा जारी मेधावी छात्र/छात्राओ को नगद पुरूस्कार योजना में विद्यालयीन छात्र/छात्राओ हेतु उल्लेखित आवेदन स्वीकृति व भुगतान की प्रकिया को अधिकमित करते हुये निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है।

यथा –

विद्यालयीन शिक्षा हेतु स्वीकृति तथा भुगतान की प्रकिया – वर्ष 2014–15 हेतु शिक्षा संवर्ग योजनाओ (**शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना/मेधावी छात्र–छात्राओ को नगद पुरूस्कार योजना**) के अंतर्गत राशि की स्वीकृति योजना में उल्लेखित संबंधित पदाभिहित अधिकारियो द्वारा समेकित शिक्षा पोर्टल के माध्यम से की जावेगी।

पोर्टल जनरेटेड स्वीकृत हितलाभ राशि की सूची (जिसमे कि छात्र/छात्रा अथवा हितग्राही के बैंक अकाउंट नम्बर तथा बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड भी उल्लेखित होता है) संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय को उक्त सूची प्रेषित की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त सूची की सरसरी जांच उपरांत राशि उल्लेखित एकांउट में आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित की जायेगी।

दिनांक 18 जुलाई 2014 द्वारा जारी अधिसूचना **"मेधावी छात्र–छात्राओ को नगद पुरूस्कार योजना"** की कंडिका 6.2 **महाविद्यालय में अध्ययनरत विधार्थियो के लिये स्वीकृति प्रकिया** की पंक्ति

"पात्रता के संबंध में प्रेषित सूची का परिक्षण उपरांत कुल स्वीकृत राशि का एकाउंट पेयी चैक जारी किया जाएगा, ततपश्चात प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रो के बैंक खाते में नगद जमा की जाएगी तथा तत्संबंधी सूचना संबंधित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी"

के स्थान पर

"पात्रता के संबंध में प्रेषित सूची के परीक्षण उपरांत संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय द्वारा संबंधित छात्रा–छात्राओ के खाते में स्वीकृत राशि आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित की जायेगी"

दिनांक 1 अगस्त 2014 द्वारा जारी अधिसूचना **"शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना"** की कंडिका (iii) जो कि महाविद्यालय में अध्ययनरत विधार्थियो को हितलाभ स्वीकृति/वितरण से संबंधित है, में उल्लेखित प्रावधान–

"पदाभिहित अधिकारियों अर्थात आयुक्त, नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा आवेदनकर्ता विधार्थियों का पुनः पात्रता परीक्षण व प्राप्त सूची का परीक्षण कर राशि स्वीकृत करके संबंधित प्राचार्य को अकाउंट पेयी चैक जारी किया जाएगा, तत्पश्चात प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि जमा की जाएगी तथा संबंधित सूचना संबंधित पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी"

के स्थान पर

"पदाभिहित अधिकारियों अर्थात आयुक्त, नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा आवेदनकर्ता विधार्थियों का पात्रता परीक्षण व प्राप्त सूची का परीक्षण कर राशि स्वीकृत कर छात्र/छात्राओ के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से प्रोत्साहन राशि जमा की जाएगी"

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक **एफ-4(बी)1/2014/ए-16**. चूँकि राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा–5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नांकित स्पष्टीकरण की कन्डिका–10 में उल्लिखित नियोजनों के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (बी) 1–2014–ए–सोलह दिनांक 8 जनवरी, 2015 व्दारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों के पुनरीक्षण के बारे में प्रस्ताव, ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए म.प्र. राजपत्र में दिनांक 16 जनवरी, 2015 को प्रकाशित किया गया था।

अतएव, उक्त अधिनियम जिस रूप में मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 तथा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टुबर, 2014 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में दर्शाए नियोजनों के लिये, कालम (2) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के वर्गो के लिये कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कॉलम (4) में दर्शाए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें, पुनरीक्षित 1 जून, 2015 तिथि से प्रवृत्त करता है।

अनुसूची

नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	2	3		4
नियोजनों का विवरण स्पष्टीकरण क्रमांक 10 में उल्लिखित है।	अकुशल	6500.00	250.00	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाये अनुसार

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता टीपः– उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 1 अप्रेल अथवा 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिंदु प्रतिमाह रूपये 25 के हिसाब से की जावेगी और स्तम्भ 3 में दी गई दरों में हुई यह वृद्धि स्तम्भ 4 के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी

जावेगी। एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्वि की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्तें में वृद्वि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी।

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि कियी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानसुार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

2, कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण मे बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नही है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

3. <u>अकुशल, अर्धकुशल कुशल, तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नुनसार है :–</u>

(क) ''अकुशल कर्मचारी'' वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

(ख) ''अर्धकुशल कर्मचारी'' वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमे सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सोंपे जायें, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो ओर उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

(ग) ''कुशल कर्मचारी'' वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके. उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

(घ) ''उच्च कुशल कर्मचारी'' वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके अथवा तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचना न्यनूतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी ।

5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।

6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर या इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक व छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।

8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को पूर्णाक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी, वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 मे पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हे अगले उच्चतर रूपये मे पूर्णाकिंत किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

9. यदि एक से अधिक नियोजन में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरे देय होंगी।

10 . उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित एवं उद्देशित नियोजनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(1) किसी कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने में नियोजन (2) वन उपज में नियोजन (3) मार्गो के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य में नियोजन (4) किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन (5) किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन (6) सिंचाई कार्यो के निर्माण तथा संधारण में नियोजन (7) किसी केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन (8) किसी आरा मिल में नियोजन (9) किसी तेल मिल में नियोजन (10) किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन (11) किसी मुर्रापोहा निर्माणी में नियोजन (12) किसी खाद्य पदार्थ, जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेंडी, सम्मिलित है एवं पेय के निर्माण में नियोजन (13) किसी पत्थर तोडने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन (14) किसी दुकान वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन (15) किसी मुद्रणालय में नियोजन (16) किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन (17) किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन (18) किसी फयूएल कोक में नियोजन (19) किसी चूना भट्टा में नियोजन (20) किसी ईट भट्टों में नियोजन (21) किसी पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है में नियोजन (22) किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन (23) किसी कोसा उद्योग में नियोजन (24) किसी खांडसारी उद्योग में नियोजन (25) किसी पाटरिज जिसमें रिफैक्ट्री समान फायर ब्रिक्स सेनेटरी वेअर्स इन्सूलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोडकर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस लाइनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स समान सम्मिलित है में नियोजन (26) किसी कंबल निर्माण कार्य में नियोजन (27) किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन (28) किसी कत्था उद्योग में नियोजन (29) किसी राजरज या गेरू के निर्माण में नियोजन

(30) किसी हाथकरघा उद्योग में नियोजन (31) किसी बोन मिल में नियोजन (32) किसी टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है परंतु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन (33) किसी विनिर्माणी प्रकिया जिसमें विनिर्माण प्रकिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (क) में परिभाषित की गई, चलाई जाती है जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आती है में नियोजन (34) किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र, विकृति विज्ञान, (पेथालाजिकल प्रयोगशाला) सम्मिलित है, में नियोजन (35) किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्थाओं, जिसमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, नियोजन (36) किसी अगरबत्ती उद्योग में नियोजन (37) किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन (38) किसी खदान जैसे कंकड, मुर्रम, लेट्राईट, बोल्डर, ग्रावेल शिंगडा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाइम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन (39) किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन (40) किसी बैकरी में नियोजन (41) किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन (42) किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन (43) किसी होटल रेस्टोरेंट या भोजनालय में नियोजन (44) किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन (45) किसी क्लब में नियोजन (46) किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त पेय निर्माण में नियोजन (47) किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन (48) किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन (49) किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड्स (कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन (50) किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन (51) किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन (52) किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन (53) मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन (54) किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन (55) किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन (56) किसी विपणन सेसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को–ऑपरेटिव्ह बैंक) में नियोजन (57) किसी होजियरी में नियोजन (58) किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटजेंट भी शामिल है) में नियोजन (59) किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओ में नियोजन (60) किसी खिलौना निर्माण जिसमें कपडे से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन (61) किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन (62) किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन (63) किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन (64) किसी अचार, बडी, पापड तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

क्र. एफ 3–7–2014–बासठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा ''विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के युवाओं हेतु खेल–कूद एवं सांस्कृतिक/बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन नियम–2015'', का प्रकाशन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के युवाओं हेतु खेल-कूद एवं सांस्कृतिक/बौद्धिक प्रतियोगिताओं का अयोजन नियम-2015

राज्य शासन द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के युवाओं हेतु खेल-कूद एवं सांस्कृतिक/बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम.—विस्तार एवं प्रारंभ.—**

1.1 ये नियम मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले के विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के युवाओं हेतु ''खेल-कूद एवं सांस्कृतिक/बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन नियम -2015'' कहे जायेंगे.

1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

1.3 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

1.4 मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा योजना के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जायेगा.

1.5 राज्य शासन द्वारा योजना प्रावधानों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा.

2. **योजना का उद्देश्य.**—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के युवाओं में अपने समाज के उत्थान की प्रक्रिया में भागीदारी के लिये रूझान और नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिये आवश्यकता महसूस की जा रही है. इसकी पूर्ति के लिये युवाओं को शैक्षणिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास एवं राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.

3. **पात्रता.**—3.1 प्रत्येक जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के निर्धारित आयु संवर्ग के समस्त युवा इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे.

4. **आयु सीमा.**— (1) **जूनियर संवर्ग.**—इसमें 17 वर्ष से कम आयु के कनिष्ठ बालक-बालिकायें शामिल होंगे.
(2) **सीनियर संवर्ग.**—इसमें 17 वर्ष से 20 वर्ष तक के बालक-बालिकायें शामिल होंगे.

5. **प्रतियोगिता का आयोजन.**—प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तर पर किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी :—

(अ) क्रीड़ा प्रतियोगिताएं
(ब) सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं
(स) बौद्धिक प्रतियोगिताएं
(द) चित्रकला प्रतियोगिताएं

(अ) **क्रीड़ा प्रतियोगिताएं.**—

1. **व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाएं.**—सभी क्षेत्रों के 17 वर्ष से कम आयु के कनिष्ठ बालक-बालिकाओं के लिये एवं 17 वर्ष से 20 वर्ष के वरिष्ठ बालक-बालिकाओं के लिये .—

(1) दौड़—100 मी., 200 मी., 400 मी.
(2) कूद—ऊंची कूद, लम्बी कूद
(3) फेंक—गोला फेंक, तवा फेंक, भाला फेंक

2. **सामूहिक प्रतिस्पर्धाएं.**—इन प्रतिस्पर्धाओं में केवल पूर्वी, मध्य, दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र के दलों द्वारा भाग लिया जायेगा.—

(1) कनिष्ठ वर्ग बालक-बालिका—कबड्डी, खो-खो, हेण्डबॉल

(2) वरिष्ठ वर्ग बालिक-बालिका—कबड्डी, खो-खो, हेण्डबॉल, बॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल

(ब) **सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं.**—

1.	एकल नृत्य—	1
2.	समूह नृत्य—	10
3.	एकल गायन—	1
4.	समूह गायन—	5
5.	प्रहसन/एकांकी नाटक—	5

(स) **बौद्धिक प्रतियोगिताएं.**—

1.	वाद-विवाद —	2
2.	निबंध—	2

(द) **चित्रकला प्रतियोगिताएं.**—

1.	रंगोली —	2
2.	चित्रकला—	2

जिलास्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता के पूर्व विभागीय आवासीय संस्थाओं को जिले में संस्थाओं की संख्या के आधार पर अधिकतम 5 जोन में विभाजित कर प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी. प्रत्येक जोन में 5 से 10 संस्थायें सम्मिलित होंगी.

उक्त स्पर्धाओं में निम्नानुसार प्रतियोगी छात्र-छात्रायें सहभागिता करेंगे.—

क्रीड़ा स्पर्धा	बालक	बालिका	योग
व्यक्तिगत			
दौड़—100 मी., 200 मी., 400 मी. 3	3	6	
कूद—ऊंची कूद, लम्बी कूद	2	2	4
फेंक—गोला फेंक, तवा फेंक, भाला फेंक	3	3	6
सामूहिक प्रतिस्पर्धाएं (जूनियर वर्ग)			
कबड्डी	8	8	16
खो-खो	9	9	18
हेण्डबॉल	7	7	14
सामूहिक प्रतिस्पर्धाएं (सीनियर वर्ग)			
कबड्डी	8	8	16
खो-खो	9	9	18
हेण्डबॉल	7	7	14
योग			112

जिलास्तर की प्रतियोगिताओं में अधिकतम 100 छात्र-छात्रायें सम्मिलित होंगी.

6. **योजना में राशि के व्यय का विवरण—**

(अ) जिलास्तर की प्रतियोगिता में निम्नानुसार राशि व्यय की जायेगी :—

क्रमांक	व्यय का मद	व्यय की गणना	कुल राशि लाखों में
1	भोजन/स्वल्पहार	50×100×200×3 जिला×प्रतिभागी×भोजन व्यय×दिवस.	30.00
2	क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता हेतु आवश्यक खेलकूद एवं अन्य सामग्री.	50×20000 जिला × राशि.	10.00
3	प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु मार्ग व्यय.	50×100×200 जिला×प्रतिभागी×राशि.	10.00
4	अन्य आकस्मिक व्यय : (अ) जिलास्तर की प्रतियोगिता के आयोजन में क्रीड़ा शिक्षकों को मानदेय रुपये 200/- प्रतिदिन. (ब) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं/संस्थाओं को व्यक्तिगत/सामूहिक पुरस्कार. (स) प्रतियोगिता आयोजन संबंधी अन्य व्यय (द) आवश्यकतानुसार प्रतियोगियों की चिकित्सा सुविधा.	50 × 50000 जिला × राशि.	25.00
		योग :	**75.00**

(ब) **उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन.**—राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के (जो मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा तथा प्रोत्साहन के रूप में निम्नानुसार राशि दी जायेगी.—

क्रमांक	प्रतियोगिता का स्तर	पुरस्कार स्वरुप दी जाने वाली राशि
1	राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत स्पर्धाओं में	प्रति छात्र रुपये 4,000/-
2	स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को	रुपये 21,000/-
3	रजक पदक प्राप्त करने वाले को	रुपये 15,000/-
4	कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को	रुपये 11,000/-
5	सामूहिक स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को	रुपये 10,000/-
6	रजत पदक प्राप्त करने वाले को	रुपये 7,000/-
7	कांस्य पदक प्राप्त करने वालो को	रुपये 5,000/-

उक्त हेतु रुपये 21.80 लाख की राशि व्यय होना अनुमानित है.

महायोग—अ+ब=96.80 लाख.

(स) **राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खेलकूद के लिये उपकरण हेतु नि:शुल्क आर्थिक सहायता एवं पुरस्कार.**— विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीयस्तर पर खेल उपकरण हेतु निम्नानुसार नि:शुल्क आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी :—

(1) **राज्यस्तरीय खिलाड़ी हेतु**—(i) **व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा.**— व्यक्तिगत खेलों के अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित उपलब्धि अनुसार खेल उपकरण हेतु खिलाड़ी को राशि रुपये 7,000/- (रुपये सात हजार केवल) देय होगी.

(ii) **सामुहिक प्रतिस्पर्धा.**—सामुहिक खेलों के अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित उपलब्धि अनुसार खेल उपकरण हेतु खिलाड़ी को राशि रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार केवल) देय होगी.

(2) **राष्ट्रस्तरीय खिलाड़ी हेतु**—(i) **व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा.**— व्यक्तिगत खेलों के अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित उपलब्धि अनुसार खेल उपकरण हेतु खिलाड़ी को राशि रुपये 12,000/- (रुपये बारह हजार केवल) देय होगी.

(ii) **सामुहिक प्रतिस्पर्धा.**—सामुहिक खेलों के अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के खिलाड़ियों खेल उपकरण हेतु राशि रुपये 8,000/- (रुपये आठ हजार केवल) देय होगी.

(3) **पात्रता**—(i) स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, खेल तथा युवा कल्याण विभाग, मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय खेल संस्थाओं द्वारा आयोजित व्यक्तिगत तथा सामूहिक राज्यस्तरीय सब जूनियर, मिनी जूनियर, यूथ एवं सीनियर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के खिलाड़ी.

(ii) स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, खेल तथा युवा कल्याण विभाग, मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय खेल संस्थाओं द्वारा आयोजित व्यक्तिगत तथा सामूहिक राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर, मिनी जूनियर, यूथ एवं सीनियर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के खिलाड़ी.

(iii) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के राज्य/राष्ट्रीयस्तर पर व्यक्तिगत/सामुहिक खेल प्रतिस्पर्धाओं के खिलाड़ी.

(4) **आयुसीमा.**—(i) **जूनियर खिलाड़ी.**—जिन खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष से कम हो, जूनियर खिलाड़ी कहलायेंगे.

(ii) **सीनियर खिलाड़ी.**—जिन खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष से कम एवं 20 वर्ष से अधिक न हो, सीनियर खिलाड़ी कहलायेंगे.

(5) **खेल उपकरण.**—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदेश में प्रचलित खेलों अर्थात्—एथलेटिक्स, आर्चरी, बास्केटबाल, बेसबाल, बेडमिंटन, क्रिकेट, शतरंज, केनोइंग—क्याकिंग, फुटबाल, फेन्सिंग, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, हैण्डबाल, जुडो, टेनिस, साफ्टबाल, तैराकी, शूटिंग, ताईक्वांडों, टेबिल-टेनिस, वॉलीबाल, कुश्ती, मलखम्ब, रोइंग, आदि के उपकरणों हेतु दी जायेगी.

(6) **अन्य.**—(i) इस योजना का लाभ लेने हेतु मध्यप्रदेश का मूलनिवासी एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति का होना अनिवार्य होगा.

(ii) राष्ट्रीयस्तर पर देय आर्थिक सहायता मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने पर ही देय होगी.

(iii) योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 50 राष्ट्रीय एवं 50 राज्यस्तरीय खिलाड़ियों को सहायता उपलब्ध कराई जावेगी.

(iv) योजना के प्रावधान अनुसार सहायता राशि की स्वीकृति के अधिकार संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास को प्राप्त होंगे.

(v) योजना का लाभ संबंधित खिलाड़ियों को पहुँचाने के उद्देश्य से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जावेंगे, इस हेतु विज्ञप्ति समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जावेगी.

(vi) उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन-पत्रों में संलग्न खेलकूद के प्रमाण-पत्रों की पुष्टि मध्यप्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग से कराई जावेगी.

(vii) योजना का लाभ ''प्रथम आवे प्रथम पावें'' के आधार पर देय होगा.

(viii) अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कम आय एवं कम आयु वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जावेगी.

7. **वित्तीय व्यवस्था.**—उक्त योजनांतर्गत व्यय राज्य शासन द्वारा आयोजना मद में योजनांतर्गत स्वीकृत मद में प्रावधानित राशि से किया जावेगा.

8. **अन्य.**—(1) योजनांतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में समय-समय पर आवश्यतानुसार संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास निर्देश प्रसारित करेंगे.

(2) उक्तानुसार प्रतियोगिता आयोजन हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा.

(3) आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विभागीय संस्थाओं की क्षेत्रीय एवं राजस्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के छात्र-छात्राओं के भाग लेने पर योजना में आनुपातिक राशि संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, ''सी'' विंग, 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 5454/NREGS-MP/NR-11/DC/2015 भोपाल, दिनांक 20 मई 2015

सूचना

नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 7 की उपधारा (1) तथा (6), धारा 15 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावति करती है, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

<u>प्रारूप नियम</u>

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ —**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया) मध्यप्रदेश नियम, 2014 है।
   (2) ये नियम, मध्यप्रदेश के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं —**
   (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
   (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42);
   (ख) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है, किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य व्यस्क सदस्य जिसने स्कीम के अधीन रोजगार के लिए आवेदन किया है;

(ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है, धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्;

(घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 उपधारा (1) के अधीन इस रूप में पदाभिहित एक अधिकारी;

(ङ) "गृहस्थी" से अभिप्रेत है किसी कुटुम्ब के सदस्य जो एक दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा संबंधित हैं तथा सामान्यतः एक साथ निवास करते हैं या सम्मिलित रूप से भोजन करते है या एक सामान्य राशन कार्ड रखते है;

(च) "कार्यान्वयन अभिकरण" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग, कोई जिला पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या गैर सरकारी संगठन, जिसे कि स्कीम के अधीन किये जाने वाले किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(छ) "कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी;

(ज) "स्कीम" से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम;

(झ) "ग्राम पंचायत का सचिव" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम् ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन इस रूप में नियुक्त सचिव;

(ञ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश सरकार।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्ति के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3. बेरोजगारी भत्ते की पात्रताः—

यदि स्कीम के अधीन रोजगार के लिए किसी आवेदक को, उसके द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिए दिए गये उसके आवेदन की तारीख से या उस तारीख से जिसको कि अग्रिम आवेदन की दशा में रोजगार चाहा गया हो, जो भी पश्चातवर्ती हो, पन्द्रह दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

4. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्रताः—

कोई भी आवेदक संदेय बेरोजगारी भत्ते का दावा करने हेतु पात्र नहीं होगा किन्तु अधिनियम के अधीन, किसी भी समय तीन मास की कालावधि के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यदि वह —

(क) इस स्कीम के अधीन उसकी गृहस्थी को उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नही करता है/करती है ; या

(ख) रोजगार के लिए रिपोर्ट करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर कार्य के लिए उपस्थित नही होता है ; या

(ग) संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण से कोई अनुज्ञा प्राप्त किये बिना एक सप्ताह से अधिक की कालावधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी मास में एक सप्ताह से अधिक की कुल कालावधि के लिए अनुपस्थित रहता है।

5. बेरोजगारी भत्ते की दर :—

किसी गृहस्थी के किसी आवेदक को संदेय बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उस वित्तीय वर्ष के दौरान गृहस्थी की हकदारी के अध्यधीन रहते हुए प्रथम तीस दिन के लिए, स्कीम की प्रचलित मजदूरी की एक चौथाई के बराबर दर से किया जाएगा तथा उस वित्तीय वर्ष की बची हुई कालावधि हेतु मजदूरी दर के आधे के बराबर की दर से भुगतान किया जाएगा।

6. बेरोजगारी भत्ता का दावा फाईल करने के लिए प्रक्रिया :–

(1) व्यथित आवेदक को कार्यक्रम अधिकारी को सीधे ही या ग्राम पंचायत के माध्यम से, उन दिनों की संख्या का स्पष्ट कथन करते हुए, जिनके लिए बेरोजगारी भत्ते का दावा किया जा रहा है, लिखित या मौखिक रूप से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत का सचिव, लिखित आवेदन प्राप्त करेगा या उसके द्वारा प्राप्त मौखिक अनुरोध को अभिलिखित करेगा तथा उसको प्रमाणित करेगा तथा आवेदक को ऐसे आवेदन पत्र की पावती देगा। आवेदक को लिखित आवेदन की एक सम्यक् पावती भी दी जाएगी।

(3) बेरोजगारी भत्ता के दावा के लिए कोई भी आवेदन, नियम–3 के अनुसार आवेदक के बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्र होने के दिवस से पन्द्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) आवेदक, निरीक्षण हेतु कार्य की मांग के लिए दिए गए अपने आवेदन की मूल पावती तथा रोजगार पत्र (जॉब–कार्ड) की मूल पावती के साथ अपना दावा प्रस्तुत करेगा जो इस दावे के विनिश्चय के तत्काल पश्चात् उसे वापस कर दिए जाएंगे।

(5) यदि आवेदन ग्राम पंचायत के कार्यालय में दाखिल किया जाता है तो ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को अपनी टिप्पणी के साथ तीन दिन के भीतरं उसे अग्रेषित करेगी।

7. दावों के सत्यापन के लिए प्रक्रिया :–

(1) कार्यक्रम अधिकारी, दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, बेरोजगारी भत्ते के दावे हेतु प्राप्त आवेदन को समुचित अन्वेषण के पश्चात् मंजूर या रद्द कर देगा तथा वह बेरोजगारी भत्ते के आवेदन की मंजूरी या उसे रद्द किए जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा जो आवेदक को लिखित में संसूचित किए जाएंगे।

(2) कार्यक्रम अधिकारी जॉब–कार्ड तथा उपस्थिति रजिस्टरों के क्रास सत्यापन के माध्यम से व्यथित आवेदक के दावें का सत्यापन करेगा तथा सूचना

प्रबन्धन प्रणाली के अधीन संधारित अभिलेखों से भी दावें का सत्यापन करेगा। वह, उन दिनों की, जिनके लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है, गणना करते हुए, दिनों की वास्तविक संख्या प्रमाणित करेगा।

(3) उप–नियम (2) के अनुसार बेरोजगारी भत्ते के दावे या दावों के सत्यापन के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु सिफारिश के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक, उप–नियम (3) के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावे या दावों की वैधता तथा उनके सत्यापन के बारे में अपना समाधान हो जाने के पश्चात्, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को बेरोजगारी भत्ते की रकम हेतु अध्यपेक्षा भेजेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उप–नियम (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिन के भीतर यह कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।

8. रोजगार उपलब्ध न करवाने वाले सरकारी अधिकारियों का दायित्व नियत करना:–

उन समस्त मामलो में जिनमें कि बेरोजगारी भत्ते का संदाय किया जाना है जिला कार्यक्रम समन्वयक, आवेदक को, उसका आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नियम 3 के अनुसार और उसमें उल्लेखित समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध न करवाने वाले यथास्थिति अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी का दायित्व नियत करेगा तथा इन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को या इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को एक प्रस्ताव भेजेगा।

9. बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए प्रक्रिया :–

(1) नियम 7 के उप नियम (4) के अनुसार बेरोजगारी भत्ते की रकम की मांग प्राप्त होने पर, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, सात दिन के भीतर रकम जारी करेगी।

(2) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उसी रीति में किया जाएगा जिसमें कि सामान्यतः स्कीम के अधीन दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता हैं।

10. बेरोजगारी भत्ते के दावे का समाप्त होना:—

किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की किसी गृहस्थी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का दायित्व उसी समय समाप्त हो जाएगा, जैसे ही—

(एक) ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदक को या तो स्वंय या उसकी गृहस्थी के कम से कम एक वयस्क सदस्य को कार्य पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है ; या

(दो) वह कालावधि, जिसके लिए कि नियोजन चाहा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक की गृहस्थी का कोई सदस्य रोजगार पर नहीं आता है ; या

(तीन) यदि आवेदक की गृहस्थी के वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष में कम से कम कुल सौ दिन का रोजगार प्राप्त कर लिया है ; या

(चार) आवेदक के गृहस्थी ने मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता दोनों को मिलाकर या अलग अलग उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान सौ दिन के कार्य की मजदूरी के बराबर है।

11. बेरोजगारी भत्ता भुगतान के लिऐ समय—सीमा :—

नियम 3 के अधीन बेरोजगारी भत्ते का प्रत्येक भुगतान, उस तारीख से जिससे कि वह भुगतान हेतु शोध्य हो जाता है, तीस दिन के भीतर किया जाएगा या ऐसा करने का प्रस्ताव किया जाएगा।

12. राज्य सरकार की विशेष शक्ति :—

राज्य सरकार को, इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए तथा उनके सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने तथा समय—समय पर संबंधित अधिकारियों को ऐसे आदेश जारी करने, निर्देश और सुझाव देने की शक्ति होगी जो की अधिनियम तथा इन नियमों के विरूद्ध न हों।

13. **निर्वचन :—**

यदि इन नियमों के किन्हीं उपबंधो के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

14. **लेखा तथा अंकेक्षण :—**

बेरोजगारी भत्ते के लेखे ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में संधारित किए जाएंगे जैसे कि राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए। यह अभिलेख सदैव ही अंकेक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा।

NOTICE

The following draft of rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (6) of section 7, clause (b) of sub-section (5) of section 15 and clause (b) of sub-section (2) of section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005) is hereby published as required by sub-section (1) of section 32 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period specified above shall be considered by the State Government:

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement :-**

1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Procedure for payment of Unemployment Allowance) Madhya Pradesh Rules, 2014
2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions :-**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);-
b) "applicant" means the head of a household or any of its other adult member who has applied for employment under the Scheme;
c) "Council" means 'Madhya Pradesh State Employment Guarantee Council' constituted under sub-section (1) of section 12 ;
d) "District Programme Coordinator" means an officer designated as such under sub-section (1) of section 14 of the Act;

e) "house hold" means the members of a family related to each other by blood, marriage or adoption and normally residing together or sharing meals or holding a common ration card;
f) "implementation agency" means any department of the Central Government or a State Government, a Zila Panchayat, Panchayat at intermediate level, Gram Panchayat or any local authority or Government undertaking or non-governmental organization authorized by the Central Government or the State Government to undertake the implementation of any work taken up the Scheme;
g) "Programme Officer" means an officer appointed under sub-section (1) of section 15 of the Act;
h) "Scheme" means a Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 4);
i) "Secretary of the Gram Panchayat " means Secretary as such appointed under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994);
j) "Section" means the section of the Act;
k) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Entitlement of Unemployment Allowance:

If an applicant who has applied for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought, in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance.

4. Disentitlement to receive Unemployment Allowance:-

An applicant shall not be eligible to claim unemployment allowance payable, but shall be eligible to seek employment under the Act at any time for a period of three months, if he/she-

a) does not accept the employment provided to his household under the Scheme; or
b) does not report for work within fifteen days of being notified by the Programme Officer or the implementing agency to report for the work; or

c) continuously remains absent from work, without obtaining permission from the concerned implementing agency for a period of more than one week or remains absent for a total period of more than one week in any month.

5. Rate of Unemployment Allowance:-

The unemployment allowance payable shall be paid to the applicant of a household subject to the entitlement of the household at a rate equal to one-fourth of the prevailing wage of the scheme for the first thirty days during the financial year and at a rate equal to half of the wage rate for the remaining period of the financial year.

6. Procedure for filing a claim of Unemployment Allowance:-

1. The aggrieved applicant should submit a written or verbal application before the Programme Officer directly or through the Gram Panchayat clearly stating the number of days for which the unemployment allowance is being claimed,
2. The Programme Officer or Secretary of Gram Panchayat shall receive a written application or a verbal request and thereafter the same shall be recorded and he shall certify it and shall give an acknowledgment of such application to the applicant. An appropriate acknowledgment of the written application shall also be given to the applicant.
3. An application for the claim of unemployment allowance can be filed within fifteen days from the day on which the applicant becomes entitled for unemployment allowance according to rule 3.
4. Applicant shall file his claim with the original acknowledgement of his application of demand of work and original copy of his job card for inspection, which shall be returned to him immediately after decision of this claim.
5. If the application is filed in the office of the Gram Panchayat, the Gram Panchayat shall forward the same of claim to the Programme Officer with its comments within three days.

7. Procedure for verification of claim:-

1. The Programme Officer within seven days of receipt of claim, shall sanction or reject the application received for claim of unemployment allowance after appropriate investigation and he shall record the reasons for sanction or rejection of unemployment allowance, which shall be communicated to the applicant in writing.
2. The Programme Officer shall perform thorough cross verification of the Job card and muster rolls to verify the claim of the aggrieved applicant and shall

also verify the claim with the records maintained under management information system. He shall certify the actual number of days by calculating those days for which unemployment allowance has to be paid.

3. After verification of the claim or claims of Unemployment Allowance according to sub-rule (2), the Programme Officer shall submit a report along with a recommendation for payment of unemployment allowance to the District Programme Coordinator.
4. The District Programme Coordinator upon receiving of the report according to sub-rule (3), after satisfying himself as to the legitimacy of claim or claims and verification thereof, shall send a requisition for amount of unemployment allowance to the Madhya Pradesh State Employment Guarantee Council. This action shall be completed by District Programme Coordinator within seven days of receipt of the report under sub-rule (3).

8. Fixing Responsibility of the Government Officials for not providing employment:-

In all cases where unemployment allowance is to be paid, the District Programme Coordinator shall fix the responsibility of officer, employee, office bearer, as the case may be, for not providing employment to the applicant within the time limit mentioned in rule 3, from the date of receiving his application and shall send a proposal for taking action against those persons to the competent authority or the officer designated for this purpose by the Madhya Pradesh State Employment Guarantee Council.

9. Procedure for payment of Unemployment Allowance:-

1. The Madhya Pradesh State Employment Guarantee Council on receiving the requisition for amount of unemployment allowance according to sub-rule (4) of rule 7, shall release the amount within seven days.
2. The Payment of unemployment allowance shall be made in the same manner, which is normally used to pay daily wages in the scheme.

10. Ceasing a claim of Unemployment Allowance:

The liability of the State Government to pay unemployment allowance to a household during any financial year shall cease as soon as-

(i) the applicant is directed by the Gram Panchayat or the Programme Officer to report for work either by himself or depute at least one adult member of his household; or

(ii) the period for which employment is sought comes to an end and no member of the household of the applicant had turned up for employment ;or

(iii) the adult members of the household or the applicant have received in total at least one hundred days of work within the financial year; or

(iv) the household of the applicant has earned as much from the wages and unemployment allowance taken together or separately which is equal to the wage for one hundred days of work during the financial year.

11. Time Limit for Payment of Unemployment Allowance:-

Every Payment of unemployment allowance under rule 3 shall be made or offered not later than thirty days from the date from which it becomes due for payment.

12. Special Power of the State Government:-

The State Government shall have the power to issue clarification of these rules for the purpose of giving effect and smooth implementation of the provisions of these rules and to issue such order, instructions and suggestion to the concerned officials which are not against the Act and these rules, from time to time.

13. Interpretation:-

If any question arises relating to the interpretation of any provisions of these rules, the matter shall he referred to the State Government and its decision thereon shall be final.

14. Accounting and Auditing. :-

Accounts of unemployment allowance shall be maintained in such from and in such manner as may be prescribed by the State Government. This record shall always be available for audit.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्मिता भारद्वाज, आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.